

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

मीठासीन अधिकारी - श्रीमान अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 19 / 2023

दायर तारीख 25 / 05 / 2023

अनवान

1. गुलाबी पत्ति भवाना जाति अहीर, उम्र वयस्क निवासी देरोली, तहसील विजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. भवाना पुत्र नारायण जाति अहीर, उम्र वयस्क निवासी देरोली, तहसील विजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
.....वादीगण

बनाम

1. सुगनलाल पुत्र नारायण जाति अहीर, उम्र वयस्क निवासी देरोली, तहसील विजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. शाखा प्रबन्धक महोदय बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा विजौलियाँ जरिये मैनेजर साहब विजौलियाँ, तहसील विजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार विजौलियाँ, तहसील विजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)
.....विपक्षीगण

- उत्पस्थित :- 1. श्री ओमप्रकाश शर्मा - अधिवक्ता वादीगण
2. श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ - अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-: निर्णय :-

दिनांक :- 09 / 06 / 2025

सक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद नियमित सुनवाई दिनांक 18 / 07 / 2024 को प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी हुयी कि ग्राम देरोली पटवार हल्का उमाजी का खेड़ा तहसील विजौलियाँ स्थित खाला संख्या 40 में अकित खसरा संख्या 190 रकबा 0.2266 हैक्टियर, खसरा संख्या 193 रकबा 0.0809 हैक्टियर, खसरा संख्या 194 रकबा 0.0809 हैक्टियर, खसरा संख्या 198 रकबा 0.2590 हैक्टियर, खसरा संख्या 200 रकबा 0.7042 हैक्टियर कुल कित्ता 05 रकबा 1.3516 हैक्टियर भूमि जमाबन्दी में वादीगण 1 / 3 हिस्से भूमि एवं ग्राम देरोली पटवार हल्का उमाजी का खेड़ा भू अभिलेख निस्सिक उमाजी का खेड़ा तहसील विजौलियाँ स्थित खाला संख्या 39 में अकित खसरा 225 / 47 रकबा 0.1214 हैक्टियर, खसरा संख्या 226 / 52 रकबा 0.1133 हैक्टियर, खसरा संख्या 39 रकबा 0.3399 हैक्टियर, खसरा संख्या 41 रकबा 0.1619 हैक्टियर, खसरा संख्या 47 रकबा 0.1052 हैक्टियर खसरा संख्या 56 रकबा 0.1942 हैक्टियर कुल कित्ता 06 रकबा 1.0359 हैक्टियर, भूमि जमाबन्दी में वादी संख्या 02 के 2 / 3 हिस्से भूमि का सिट्स एवं बाउण्डर्स के आधार पर विभाजन के आदेश पारित किये गये। आदेश की पालना में तहसीलदार विजौलियाँ ने उनके पत्रांक / राजस्व / 2025 / 802 दिनांक 09.05.2025 को प्राथमिक डिक्री के प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को प्रस्तुत किये हैं। प्राप्त प्रस्ताव पर वकील वादीगण ने सहमति व्यक्त की है।



उपखण्ड अधिकारी
विजौलियाँ (भील.)

लगानार पेज संख्या 02 पर

मूल वाद में डिफ्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी - श्रीमान अजीत सिंह रावौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
वादपत्र संख्या 19 / 2023

दायर तारीख 25 / 05 / 2023

अनुवागन

1. गुलाबी पति भवना जाति अहीर, उम्र वयस्क निवासी देसेली, तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
 2. भवना पुत्र नारायण जाति अहीर, उम्र वयस्क निवासी देसेली, तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
-डिफ्रीदार
- बनाम

1. सुगनलाल पुत्र नारायण जाति अहीर, उम्र वयस्क निवासी देसेली, तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. शाखा प्रबन्धक महोदय बैंक ऑफ़ बड़ौदा शाखा बिजौलियां जरिये मैनेजर साहब बिजौलियां, तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....मदयूनान

उपरिस्थत :- 1. श्री ओमप्रकाश शर्मा - अधिवक्ता वादीगण
 2. श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ - अधिवक्ता प्रतिवादीगण:



वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53-88 रा10टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 09/06/2025
 डिफ्री दिनांक : 09/06/2025

यह मुकदमा आज वास्तो इन्फिसल कर्टई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियाँ बहालशरी अधिवक्तावादी श्री ओमप्रकाश शर्मा और प्रतिवादी अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ को हुकम दिया है व डिफ्री दी जाती है कि :-

अतः वादागण पत्र वादी अन्तर्गत धारा 53-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खतदेदार के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक रूप से अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	खतदेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा
01	भवाना पिता नारायण 1/2 अहीर सा. देसेली खतदेदार	देसेली	190 193	0.2266 0.0809
	गुलाबी पति भवना 1/2 अहीर सा. देसेली खतदेदार		194 198 200	0.0809 0.2590 0.7042
	योग		किता 05	1.3516
02	सुगनलाल पिता नारायण अहीर सा. देसेली खतदेदार रहन BOB शा. बिजौलियां	देसेली	39 41 47	0.3399 0.1619 0.1052
			225 / 47 226 / 52 / 2	0.1214 0.0728
			किता 05	0.8012
03	भवाना पिता नारायण अहीर सा. देसेली खतदेदार	देसेली	56 226 / 52 / 1	0.1942 0.0405
	योग		किता 02	0.2347

पेज संख्या 02

खर्चा प्रत्येक कारण स्वयं अपना - अपना वहन करें।

शेज Nil मुंबलिंग Nil बाबत Nil खर्चा इस
मुद्दमें के मय सूद व शहर Nil फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख
दस्तावाबी तक Nil का अदा करें।

बराबद भेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09 माह 06 वर्ष 2025 को जारी किया
गा।

नोट :- प्रकरण में वकील वादी द्वारा स्टाम्प 100 रूपयें का आज दिनांक 09/06/2025 को प्रस्तुत
करने से डिक्री आज दिनांक 09/06/2025 को मुतिब की गई।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुद्द	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अक्षरजीदया	-	-	स्टाम्प अक्षरजीदया	-	-
स्टाम्प वकीलालत नामा	-	-	स्टाम्प वकीलालत नामा	-	-
स्टाम्प वजह सबूत	-	-	स्टाम्प वजह सबूत	-	-
महानताना वकील ()	-	-	महानताना वकील ()	-	-
खर्चा गवाह	-	-	खर्चा गवाह	-	-
फीस कमीश्नर	-	-	फीस कमीश्नर	-	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-	-
मुनफरिक	-	-	मुनफरिक	-	-
	मीजान			मीजान	




(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां


अंतर्गत वादपत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 53-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री निर्माकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदार के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक रूप से खिलाने किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराज्गी नम्बर	रकबा
01	भवाना पिता नारायण 1/2 अहीर सा. देसेली खातेदार गुलाबी पत्नि भवाना 1/2 अहीर सा. देसेली खातेदार	देसेली	190 193 194 198 200	0.2266 0.0809 0.0809 0.2590 0.7042
02	सुगनलाल पिता नारायण अहीर सा. देसेली खातेदार रहन BOB सा. बिजौलियां	देसेली	39 41 47 225/47 226/52/2 किता 05	0.3399 0.1619 0.1052 0.1214 0.0728 0.8012
03	भवाना पिता नारायण अहीर सा. देसेली खातेदार	देसेली	56 226/52/1	0.1942 0.0405
	योग		किता 02	0.2347

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री मूर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करें।


(अजीत सिंह रावौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

निर्णय आज दिनांक 09/06/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अजीत सिंह रावौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां